

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 42
राज्यों को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	175544.45	140862.71	316407.16	184180.78	184000.00	368180.78	177530.31	159510.00	337040.31	178207.01	192830.00	371037.01
वसूलियां	-1048.50	...	-1048.50	-14342.60	...	-14342.60	-9610.00	...	-9610.00	-10380.00	...	-10380.00
प्राप्तियां	-8774.32	-17990.81	-26765.13	-9460.00	-21591.12	-31051.12	-9610.00	-20134.00	-29744.00	-10380.00	-22234.53	-32614.53
निवल	165721.63	122871.90	288593.53	160378.18	162408.88	322787.06	158310.31	139376.00	297686.31	157447.01	170595.47	328042.48
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
वित्त आयोग अनुदान												
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत अनुदान												
1. अंतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान	51673.00	...	51673.00	24483.00	...	24483.00	24483.00	...	24483.00	13705.00	...	13705.00
2. राज्य आपदा मोचन निधि के लिए सहायता अनुदान	19419.60	...	19419.60	20550.40	...	20550.40	20550.40	...	20550.40	21575.20	...	21575.20
3. राज्य आपदा शमन निधि हेतु सहायता अनुदान	4253.50	...	4253.50	5137.60	...	5137.60	5137.60	...	5137.60	5393.80	...	5393.80
4. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान												
4.01 ग्रामीण निकाय	47260.15	...	47260.15	49800.00	...	49800.00	45000.00	...	45000.00	48573.00	...	48573.00
4.02 शहरी निकाय	21223.04	...	21223.04	25653.00	...	25653.00	21000.00	...	21000.00	26158.00	...	26158.00
जोड़- स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	68483.19	...	68483.19	75453.00	...	75453.00	66000.00	...	66000.00	74731.00	...	74731.00
5. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	4692.62	...	4692.62	6004.17	...	6004.17	10225.30	...	10225.30	15272.00	...	15272.00
6. नए शहरों के उद्भवन के लिए अनुदान	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	2000.00	...	2000.00
7. सांझा नगर पालिका सेवाओं के लिए अनुदान	250.00	...	250.00	250.00	...	250.00	90.00	...	90.00
जोड़-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत अनुदान	148521.91	...	148521.91	132378.17	...	132378.17	127146.30	...	127146.30	132767.00	...	132767.00
जोड़-वित्त आयोग अनुदान	148521.91	...	148521.91	132378.17	...	132378.17	127146.30	...	127146.30	132767.00	...	132767.00
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
8. विशेष सहायता	11695.21	...	11695.21	20000.00	...	20000.00	18000.00	...	18000.00	10000.00	...	10000.00
9. कोविड-19 टीकाकरण हेतु सहायता	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
10. पूंजी व्यय हेतु राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता	...	109554.30	109554.30	...	150000.00	150000.00	...	125000.00	125000.00	...	150000.00	150000.00
11. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान)	5478.83	...	5478.83	8000.00	...	8000.00	9000.00	...	9000.00	10000.00	...	10000.00
12. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	...	31308.41	31308.41	...	33900.00	33900.00	...	34410.00	34410.00	...	42730.00	42730.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
(ब्लॉक ऋण सहित एक के बाद एक ऋण)	...	-17990.81	-17990.81	...	-21491.12	-21491.12	...	-20034.00	-20034.00	...	-22134.53	-22134.53
<i>निवल</i>	...	13317.60	13317.60	...	12408.88	12408.88	...	14376.00	14376.00	...	20595.47	20595.47
13. राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि को अंतरण												
13.01 राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष को अंतरण (एनडीआरएफ)	8800.00	...	8800.00	9460.00	...	9460.00	9610.00	...	9610.00	10380.00	...	10380.00
13.02 कम राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (सीमा-शुल्क)	-962.07	...	-962.07	-940.00	...	-940.00	-1150.00	...	-1150.00	-1220.00	...	-1220.00
13.03 कम राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)	-7812.25	...	-7812.25	-8520.00	...	-8520.00	-8460.00	...	-8460.00	-9160.00	...	-9160.00
<i>निवल</i>	25.68	...	25.68
14. राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से राज्यों को सहायता												
14.01 राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से राज्यों को सहायता	1048.32	...	1048.32	11474.00	...	11474.00	11474.00	...	11474.00	12048.00	...	12048.00
14.02 राष्ट्रीय आपदा प्रथमन निधि (एनडीएमएफ) से राज्यों को सहायता	2868.60	...	2868.60	2300.00	...	2300.00	3012.00	...	3012.00
14.03 कम राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से अंतरण से पूरी की गई राशि	-1048.32	...	-1048.32	-14342.60	...	-14342.60	-9610.00	...	-9610.00	-10380.00	...	-10380.00
<i>निवल</i>	4164.00	...	4164.00	4680.00	...	4680.00
15. राहत हेतु अग्रिम सहायता के रूप में ऋण (पूर्व अर्थोपाय अग्रिम)												
	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00
	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00
<i>निवल</i>
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	17199.72	122871.90	140071.62	28000.01	162408.88	190408.89	31164.01	139376.00	170540.01	24680.01	170595.47	195275.48
कुल जोड़	165721.63	122871.90	288593.53	160378.18	162408.88	322787.06	158310.31	139376.00	297686.31	157447.01	170595.47	328042.48
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
2. प्राकृतिक आपदा राहत	25.68	...	25.68	1864.00	...	1864.00	1668.00	...	1668.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	25.68	...	25.68	0.01	...	0.01	1864.01	...	1864.01	1668.01	...	1668.01
अन्य												
3. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	165695.95	...	165695.95	160378.17	...	160378.17	156446.30	...	156446.30	155779.00	...	155779.00
4. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	122871.90	122871.90	...	162408.88	162408.88	...	139376.00	139376.00	...	170595.47	170595.47
जोड़-अन्य	165695.95	122871.90	288567.85	160378.17	162408.88	322787.05	156446.30	139376.00	295822.30	155779.00	170595.47	326374.47
कुल जोड़	165721.63	122871.90	288593.53	160378.18	162408.88	322787.06	158310.31	139376.00	297686.31	157447.01	170595.47	328042.48

1. **अंतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान:** वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी तय कर दी है तथा राज्य की अनुमानित राजस्व प्राप्तियों पर आधारित प्रत्येक राज्य के राजस्व घाटा अनुदान को अनुमानित किया है। अनुमानित पूर्व अंतरण राजस्व घाटे तथा प्रत्येक राज्य के हिस्से के आधार पर आबंटन किया गया है।
2. **राज्य आपदा मोचन निधि के लिए सहायता अनुदान:** वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार राज्यों को आपदा राहत के लिए वित्तपोषण हेतु आबंटन कर दिया गया है।
3. **राज्य आपदा शमन निधि हेतु सहायता अनुदान:** राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीएमएफ) के लिए सहायता अनुदान
4. **स्थानीय निकायों के लिए अनुदान:** वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार स्थानीय निकायों (ग्रामीण तथा शहरी) के लिए आबंटन किए गए हैं।
5. **स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान:** वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु आबंटन कर दिया गया है।
6. **नए शहरों के उद्भवन के लिए अनुदान:** वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, नये शहरों को बसाने के लिए अनुदान का आबंटन किया गया है।
7. **सांझा नगर पालिका सेवाओं के लिए अनुदान:** वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, साझा नगरपालिका सेवाओं के लिए अनुदान हेतु आबंटन किया गया है।
8. **विशेष सहायता:** यह प्रावधान बकाया प्रतिबद्ध देयताओं जिनके लिए बजट प्रावधान नहीं किया जाता है और राज्यों के लिए अन्य आवश्यकता आधारित सहायता हेतु निर्धारित किया गया है।
9. **कोविड-19 टीकाकरण हेतु सहायता:** यह प्रावधान कोविड-19 टीकाकरण में व्यय को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया है।
10. **पूँजी व्यय हेतु राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता:** इसमें राज्यों को पूँजीगत व्यय हेतु ऋण में विस्तार का प्रावधान किया गया है।
11. **विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान):** विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता इसी मांग से दी जाती है। अप्रैल, 2005 से, 12वें वित्त आयोग की सिफारिश पर विदेशी सहायता के उसी रूप में अंतरण की एक नई व्यवस्था, बैक-टू-बैक (बी2बी) आरंभ की गई थी जिसके तहत पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों से भिन्न अन्य राज्यों को उन्हीं शर्तों पर विदेशी सहायता दी जाती है जिन पर यह प्रदाता एजेंसियों से केन्द्र सरकार को प्राप्त होती है। राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अनुदान घटक के लिए निधियों का प्रावधान किया गया है।
12. **विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ब्लॉक ऋण सहित एक के बाद एक ऋण):** राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ऋण घटक के लिए निधियों का प्रावधान पूँजीगत भाग के तहत किया गया है। इसके ऋण घटक की वसूली मुख्य शीर्ष 6002 के तहत की जाती है।

- 13.01. **राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष को अंतरण (एनडीआरएफ):** प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत राहत पर व्यय।
- 14.01. **राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से राज्यों को सहायता:** राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से निधियों की पूर्ति के लिए गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् तत्काल राहत के लिए सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से सहायता, असाधारण कठिनाई और प्राकृतिक आपदाओं के समय में राज्यों को तत्काल सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।
- 14.02. **राष्ट्रीय आपदा प्रशमन निधि (एनडीएमएफ) से राज्यों को सहायता:** राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीएमएफ) से राज्यों को सहायता
15. **राहत हेतु अग्रिम सहायता के रूप में ऋण (पूर्व अर्थोपाय अग्रिम):** अस्थायी अग्रिम का यह प्रावधान अल्पकालिक नकदी के असंतुलन से निपटने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए है।